भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5536

जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में ग्राम न्यायालय

5536. श्री जी. लक्ष्मीनारायण :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित किए गए और कार्यरत ग्राम न्यायालयों की संख्या राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार कितनी है ;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार ग्राम न्यायालयों की स्थापना और संचालन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई ;

(ग) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में न्यायालयों के कार्यान्वयन में बुनियादी ढांचे, न्यायिक रिक्तियों या कम मामले निपटान दरों से संबंधित मुद्दों सहित किसी भी चुनौती की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) सरकार द्वारा उक्त राज्य में विशेष रूप से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों के कामकाज में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ; और

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश में अतिरिक्त ग्राम न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) यह अनिवार्य बनाती है कि राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, जिनमें मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी ।तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने को अनिवार्य नहीं बनाता है ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उपलबध कराई गई जानकारी के अनुसार, अब तक, आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी ग्राम न्यायालय को प्रचालित नहीं किया गया है ।भारत सरकार ने, आरंभ में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में अधिसूचित 42 ग्राम न्यायालयों को 4.37 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की थी ।तथापि, राज्य सरकार ने उक्त निधि का उपयोग नहीं किया है क्योंकि ग्राम न्यायालय आज की तारीख तक प्रचालित नहीं है ।क्योंकि राज्य में कोई ग्राम न्यायालय प्रचालित नहीं किए गए हैं, इस लिए चुनौतियों, यदि कोई हों, तथा उनके कार्यकरण में सुधार का मुद्दा ही नहीं उठता ।

****